



# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक / 1909/60/विज्ञापन/2014

रायपुर, दिनांक 02/01/2016

:: शुद्धि पत्र ::

शुद्धि पत्र क्रमांक 01/2016/परीक्षा/दिनांक 02/01/2016

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर सहायक प्राध्यापक के विभिन्न 966 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 11/2014/परीक्षा/दिनांक 05.09.2014 जारी कर रोजगार और नियोजन के अंक दिनांक 10.09.2014 में प्रकाशित किया गया था तथा Corrigendum दिनांक 17.10.2014 को जारी किया गया था।

(2) उपरोक्त जारी विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के युगल पीठ के याचिका क्रमांक 5201/2014 एवं अन्य प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2015 के पालन में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-2/2014/38-1 दिनांक 23.12.2015 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं नि:शक्तजन वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए हायर सेकेंडरी (उच्चतर माध्यमिक) में अर्हता हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक में 05 प्रतिशत की छूट एक बार के लिए दिया गया है।

(3) उपरोक्त आदेश के अनुसार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं नि:शक्तजन वर्ग के आवेदक 05 प्रतिशत अंकों की छूट के कारण आवश्यक अर्हता रखते हैं तथा पूर्व में दिए निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, वे ही ऑनलाइन आवेदन दिनांक 07.01.2016 मध्यान्ह 12:00 बजे से 17.01.2016 रात्रि 11:59 बजे तक एवं त्रुटि सुधार दिनांक 18.01.2016 मध्यान्ह 12:00 बजे से 20.01.2016 रात्रि 11:59 बजे तक कर सकेंगे।

(4) आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष शर्तें/कड़िकाएं यथावत रहेगी।

सही/-  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग  
रायपुर